बैंकों में बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियां: क्रेडिट रेटिंग की जवाबदेही तथा क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों में पारदर्शिता का प्रभाव*

आर. गांधी

श्री जाजोडिया, श्री नारंग, श्री दुबे, श्री कुलकर्णी, श्री डोगरा, श्री खन्ना, श्री पाठक एवं अन्य गणमान्य वक्ता गण, देवियो और सज्जनो। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं, बैंकिंग और रेटिंग उद्योग के विशेषज्ञों को एक साथ लाते हुए अनर्जक आस्तियों एवं क्रेडिट रेटिंग के इस बहुत प्रासंगिक तथा चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श और बहस के लिए यह सम्मेलन आयोजित करने हेतु, ऐसोचेम की प्रशंसा करना चाहूंगा। इस तरह के विषय पर बहुत चर्चा एवं सोच-विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि स्पष्टरूप इनके कोई आसान जवाब नहीं हैं। यदि होते, तो हम इस अवस्था में नहीं होते। एक प्रकार से देखा जाए तो पिछले तीन वर्ष हमें आगाह करने वाले थे। इस दौरान आर्थिक गतिविधियों में कमी हुई, ऋण मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण प्रणाली में कमजोरियां प्रकट हुई हैं। इस संरचना को सुधारने के लिए हमें मिलजुलकर कदम उठाने चाहिए। यह सम्मेलन उद्योग के इस प्रकार के विविधतापूर्ण तथा अनुभवी विशेषज्ञों के विचारों से अवगत होने के साथ ही ऋण जोखिम के मूल्यांकन तथा उसे कम करने के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करता है।

आस्ति गुणवत्ता

चूंकि यह सम्मेलन भारतीय बैंकों की बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में आयोजित किया गया है, मैं अनर्जक आस्तियों से संबंधित कुछ आंकड़ों से शुरुआत करूंगा ताकि यथार्थ का पता लगाया जा सके। 1990 के दशक के मध्य से विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू किए जाने के समय से 2008 के पहले तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार हो रहा था। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) मार्च 2006 के अंत में तेजी से घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया जो मार्च 2001 में 12 प्रतिशत था। उसके बाद से मार्च 2011 तक यह अनुपात अपरिवर्तित रहा। हालांकि, तब से बैंकों की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि होती रही है। दिसंबर 2013 के अंत में, सकल अग्रिमों की तुलना में देशी बैंकिंग प्रणाली की सकल अनर्जक आस्तियां 4.4 प्रतिशत थीं। जहां देश में तथा अन्य स्थानों पर विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ लोग इस अनुपात के उचित होने का अनुमान लगा सकते हैं वहीं मार्च 2014 के अंतिम आंकड़े अभी ज्ञात नहीं हैं। दिसंबर 2013 की स्थिति में बैंकिंग प्रणाली में कुल तनावपूर्ण आस्तियां (इसमें अनर्जक आस्तियां और पुनर्रचित मानक आस्तियां समाहित हैं) बैंकों के सकल अग्रिमों की तुलना में 10.13 प्रतिशत थीं, जो रिज़र्व बैंक के लिए चिंता का विषय है।

अनर्जक आस्तियां क्यों बढ़ रही हैं ?

बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियां बैंकिंग उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। मंद होती अर्थव्यवस्था में अनर्जक आस्तियों का बढ़ना अवश्यंभावी है। आर्थिक कमजोरियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2012 से बैंकों की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हो रही है जो हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों में अधिक स्पष्ट वृद्धि हुई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर विपरीत असर डालने वाले विभिन्न कारक रहे हैं जैसे कि वर्तमान वैश्विक एवं देशी मंदी, निरंतर होने वाली नीतिगत अड़चनें, विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने में विलंब, उच्च वृद्धि की अवस्था में कॉर्पोरेटों द्वारा तेजी से विस्तार करना इत्यादि। हालांकि आर्थिक मंदी के अलावा बैंकों की ऋण मूल्यांकन, आहरण एवं वसूली प्रणाली में खामी होने को अनर्जक आस्तियों का स्तर अधिक होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवेदनों के ठीक से सत्यापन एवं जांच में कमी, ऋण आहरण के बाद पर्यवेक्षण का अभाव तथा वसूली प्रणाली में कमजोरियों के कारण इन बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में खराबी आई।

---

* 31 मई 2014 को ली-मेरिडियन, नई दिल्ली में ऐसोचेम द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी का संबोधन। श्री डी.आर. डोगरा एवं श्री नेताजी बी. से मिले सहयोग के प्रति आभार।

क्रेडिट रेटिंग एवं आस्ति गुणवत्ता

अब हमें क्रेडिट रेटिंग तथा आस्ति गुणवत्ता के बीच संबंध पर नजर डालनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग, उधारकर्ता द्वारा बकाया राशियों के पूर्ण एवं समय पर भुगतान करने की योग्यता और इच्छा को दर्शाने वाली क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के भविष्य के/प्रगतिशील विचार होते हैं। अधिक स्पष्टरूप से, क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ताओं की तुलनात्मक रेटिंग होती है जो किसी दिए गए अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत उधारकर्ताओं की ऋण लेने की योग्यता के संबंध में क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी के आकलन पर आधारित होती है। क्रेडिट रेटिंग किसी विशिष्ट ऋण सुविधा या विशिष्ट प्रतिभूति में सन्निहित ऋण जोखिम को भी सूचित कर सकती हैं।

क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनियों द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले क्रेडिट स्कोर से किस प्रकार भिन्न होती है ? क्रेडिट रेटिंग एवं क्रेडिट स्कोर -दोनों ऋण जोखिम की माप होते हैं और किसी उधारकर्ता द्वारा ऋण अदा नहीं किए जाने (डिफाल्ट) की प्रायिकता के विभिन्न स्तर को दर्शाते हैं। दोनों में अंतर ऋण जोखिम का आकलन करने की उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रणाली में होता है। क्रेडिट रेटिंग ऋण जोखिम के बारे में भविष्य के/प्रगतिशील विचार होते हैं जबकि क्रेडिट स्कोर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा उधारकर्ता के ऋण के इतिहास के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग में उधारदाता द्वारा भविष्य में किसी दी गई समयावधि में सामना किए जा सकने वाले वाले जोखिम को ध्यान में रखा जाता है जबकि क्रेडिट स्कोर कर्ज चुकाने के उधारकर्ता के अतीत के निष्पादन पर आधारित होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि क्रेडिट स्कोर किसी विशिष्ट उधारकर्ता को प्रदान किए जाते हैं जबकि क्रेडिट रेटिंग किसी विशिष्ट सुविधा के संबंध में प्रदान की जा सकती है।

क्रेडिट रेटिंग सामान्यतः किसी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली रेटिंग को दर्शाती है किंतु बैंकों द्वारा आंतरिक रेटिंग की भी एक प्रणाली होती है। बासेल II विनियमों के तहत बैंक ऋणों को बाहरी तौर पर क्रेडिट रेटिंग प्रदान किए जाने के बहुत पहले से उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की प्रणाली विद्यमान थी। रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर 1999 में ' बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणाली ' के विषय पर जारी दिशानिर्देशों में सूचित किया गया था कि क्रेडिट रेटिंग/स्कोरिंग के माध्यम से ऋण जोखिम की माप शीर्ष प्रबंधतंत्र का ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा, अक्तूबर 2002 में जारी 'ऋण जोखिम प्रबंध के संबंध में मागदर्शी नोट ' में यह कहा गया है कि -

'अच्छे' और 'खराब' ऋणों/निवेशों के सरलीकृत और व्यापक वर्गीकरण में संबद्ध सीमाओं से बाहर निकलने के लिए क्रेडिट-रिस्क रेटिंग ढांचा (सीआरएफ) आवश्यक है। क्रेडिट-रिस्क रेटिंग ढांचा ऋण एक्सपोजर से संबद्ध जोखिम को प्राथमिक सारांश के रूप में नंबर/अक्षर/संकेत प्रदान करता है। इस प्रकार का रेटिंग ढांचा ऋण जोखिम प्रणाली को विकसित करने के लिए मूलभूत मॉड्यूल होता है और और सभी उन्नत मॉडल/उपागम इस ढांचे पर आधारित होते हैं।'

बैंक द्वारा प्रदत्त क्रेडिट रेटिंग को निम्नलिखित प्रयोगों में लाया जा सकता है -

ए) इस बात का निर्णय करने के लिए व्यक्तिगत ऋण चयन कि किसी विशिष्ट उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाए या नहीं।

बी) ऋण सुविधा का विस्तार (क्रेडिट स्प्रेड) तथा विशिष्ट लक्षण - जहां जोखिम आधारित मूल्यन ऋण जोखिम प्रबंध का अनिवार्य हिस्सा है वहीं पर उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि बैंक ऋण मूल्यन को जोखिम रेटिंग से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कारक प्रभावित करते हैं। हालांकि, वाणिज्यिक पत्र जैसे कारोबारी कर्ज लिखतों के संबंध में अभी भी रेटिंग और क्रेडिट स्प्रैड में संबंध है।

सी) संविभाग-स्तरीय विश्लेषण।

डी) निगरानी, पर्यवेक्षण तथा आंतरिक सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस)।

ई) बैंक/उधारदाता के समग्र जोखिम प्रोफाइल का आकलन करना। ये संविभाग-स्तरीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त होंगे। उदाहरण के लिए, सीआरएफ की विभिन्न श्रेणियों के बीच क्रेडिट एक्सपोजर के विस्तार, सीआरएफ की प्रत्येक श्रेणी में होने वाली हानियों का माध्य एवं मानक विचलन तथा एक्सपोजरों के समग्र रूप से विस्थापित होने से बैंक के संपूर्ण संविभाग के लिए समग्र ऋण-जोखिम रेखांकित होगा।

भारत के बैंकों ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप आंतरिक क्रेडिट रेटिंग ढांचा स्थापित किया है। बहुत से बैंकों में मौजूद आंतरिक रेटिंग ढांचा बाहरी सेवा प्रदाताओं द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयरों (साल्यूसन्स) पर आधारित हैं। हालांकि, अलग-अलग बैंकों में आंतरिक रेटिंग ढांचा के प्रभाव तथा व्यवहार कुशलता में अंतर है। 'विवेकशून्य विचारों/हर्डिंग' से बचने के लिए मतभेद होना आवश्यक है किंतु एक समान मॉडलों का प्रयोग करते हुए रेटिंग में बहुत अधिक अंतर होने से मॉडलों की स्थिरता और मॉडलों के प्रयोगकर्ताओं के समुचित तरीके से प्रयोग करने की योग्यता पर ही प्रश्न चिह्न लग सकता है।

सामान्यतः कॉर्पोरेट ग्राहकों की रेटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्रेडिट रेटिंग के आंतरिक ढांचे के अलावा, अपेक्षाकृत छोटे उधारकर्ताओं एवं खुदरा उधारकर्ताओं की रेटिंग करने के लिए बैंक साधारण क्रेडिट स्कोरिंग मॉडलों का प्रयोग भी करते हैं। खुदरा ग्राहकों के संबंध में क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल सामान्यतः निम्नलिखित चार संकेतक समूहों को ध्यान में रखते हैं - जनांककीय सूचक, वित्तीय सूचक, रोजगार सूचक तथा व्यावहारिक सूचक।

क्रेडिट रेटिंग/स्कोर के ऋण जोखिम की माप होने के कारण इनका अनर्जक आस्तियों से गहरा संबंध है। जब बैंक यह मान लें कि उधारकर्ता ने अपना कर्ज नहीं चुकाया है या करार में निर्धारित शर्तों और अनुबंधों के तहत उसके द्वारा कर्ज चुकाने की संभावना नहीं हो तब बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्तियां माना जाता है। इस प्रकार से अनर्जक आस्तियां ऋण जोखिम का ही स्वरूप होती हैं। चूंकि क्रेडिट रेटिंगें ऋण जोखिम की तुलनात्मक माप होती हैं इसलिए अधिक रेटिंग वाले उधारकर्ता द्वारा ऋण अदायगी में चूक होने की संभावना कम क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता की तुलना में कम होना चाहिए। स्वभाविक परिणाम के रूप में, बैंक के बही-खातों में अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं का अनुपात अधिक होने से अनर्जक आस्तियों का स्तर कम होना चाहिए। इस कथन की सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग को चूक के वास्तविक अनुभवों के समक्ष रखकर जांच करनी होगी।

क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली रेटिंग की तुलना बैंक की रेटिंग से करने के समय ध्यान में रखी जाने वाली एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'चूक' के घटक क्या हैं ? चूक अगर एक रुपये की भी हो या निर्धारित कर्ज देयता को चुकाने में एक दिन का भी विलंब हो तो क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियां ऐसी चूक को मान्यता देती हैं। जहां तक बैंकों का संबंध है, किसी आस्ति को तभी अनर्जक आस्ति माना जाता है जब कि निर्धारित भुगतान 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो। चूक की परिभाषा अलग-अलग है क्योंकि चूक को मान्यता देने का उद्देश्य अलग-अलग है।

बैंकों को क्या करते रहना चाहिए ?

बैंकों को अपनी आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली, अर्थात उनके ऋण आकलन तथा जोखिम प्रबंध तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा, बैंकों को उनके अपने मूल्यांकन के साथ ही बाहरी ऋण मूल्यांकन का प्रयोग करने पर भी विचार करना चाहिए। इसका तात्पर्य होगा कि अपने घर को व्यवस्थित करना होगा और कम से कम इस कारण से बैंकों का आधार मजबूत होगा। इसके बावजूद बैंकों पर आर्थिक मंदी या नीतिगत परिवर्तन या जनबूझकर की जाने वाली चूक जैसे कारकों से असुरक्षित रहेंगे। किंतु एक क्षेत्र की चिंता तो समाप्त हो जाएगी। यहां पर, अपने अनुभव के साथ ही साथ वर्षों केस्थिर कार्यनिष्पादन रिकार्ड के चलते क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियां महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों का विनियमन

भारतीय संदर्भ में, क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों का सामान्य अधीक्षण तथा विनियमन सेबी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी) विनियम, 1999 के तहत किया जाता है। सेबी द्वारा जारी किए गए विनियमों में बहुत से पहलुओं को समाहित किया गया है यथा, रेटिंग ऐजेंसियों का पंजीयन, रेटिंग ऐजेंसियों के लिए दुरूस्त एवं समुचित मानदंड, रेटिंग प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली एवं उसके दस्तावेज, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण, हितों के टकरावों को रोकना, आचार संहिता इत्यादि। प्रारंभ में ये विनियम क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा कर्ज प्रतिभूतियों की रेटिंग पर लागू होते थे किंतु अब उनका विस्तार बैंक ऋण की रेटिंग सहित रेटिंग की सभी गतिविधियों तक कर दिया गया है।

इसके अलावा, बासेल II ढांचे के अंतर्गत बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्था के रूप में क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी की पात्रता को मान्यता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रकार की मान्यता क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी की बासेल II ढांचे के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने की योग्यता के मूल्यांकन के पश्चात प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब तक छह क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों, नामतः क्रिसिल, आईसीआरए, सीएआरई, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्थ रेटिंग्स तथा एसएमईआरए रेटिंग्स को मान्यता प्रदान किया है। क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों को मान्यता प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक रेटिंग के बाजार में प्रतिस्पर्धा सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता के प्रति सचेत रहा है।

इस संबंध में, क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा के प्रभाव के संबंध में विशिष्ट अध्ययनों से संकेत मिला है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ा हुआ स्तर 'रेटिंग की दुकानदारी/रेटिंग शॉपिंग' में परिणत हो सकता है और इस प्रकार से रेटिंग की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अनिल के. कश्यप और नातालिया कोउरिज्न्याख (सितंबर 2013) ने दिखा दिया है कि '... क्रेडिट रेटिंग ऐजेंशियों के बीच प्रतिस्पर्धा उनके शुल्क में कमी, कम प्रयास करने का कारण बनती है और इस प्रकार से इसके कारण रेटिंग की परिशुद्धता में कमी आती है'। हालांकि, अनपेक्षित मूल्यन से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के लिए रेटिंग की गई संस्थाओं से उनकी प्रतिपूर्ति व्यवस्थाओं की प्रकृति की घोषणा संबंधित ऐजेंसियों की वेबसाइट में करना अनिवार्य कर दिया है। क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी द्वारा लिए जाने वाले न्यूनतम शुल्क तथा शुल्क निर्धारण के कारकों को भी इस घोषणा में शामिल किया जाना चाहिए।

क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों की पात्रता का मूल्यांकन विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों के अंतर्गत किया जाता है। इन आवश्यकताओं को निम्नलिखित छह मानदंडों में समूहित किया गया है : निष्पक्षता, स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता/पारदर्शिता, प्रकटीकरण, संसाधन एवं विश्वसनीयता।

निष्पक्षता : बासेल विनियमनों में यह निर्धारित किया गया है कि क्रेडिट रेटिंग के आकलन की कार्यप्रणाली ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित हो जो आवश्यक रूप से कठोर, व्यवस्थित एंव किसी प्रकार के सत्यापन (बैक टेस्टिंग इत्यादि) के अधीन होनी चाहिए। इसके अलावा, रेटिंग की निरंतर निगरानी भी की जानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक इस मानदंड का मूल्यांकन निम्नलिखित कारकों के अंतर्गत करता है - क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी की चूक की परिभाषा तथा चूक होने पर उठाए जाने वाले कदम, चूक की ऐतिहासिक दरें, चूक की साधारण दरें (अर्थात रेटिंग जितनी कम होगी चूक की संभावना उतनी अधिक होगी), रेटिंग की स्थिरता (निर्धारित की गई रेटिंग के किसी दी गई समयावधि के दौरान अपरिवर्तित रहने की प्रायिकता), रेटिंग की भविष्य-सूचक होने की क्षमता, वर्तमान रुझानों को दर्शाने के लिए रेटिंग की कार्यप्रणाली में सुधार करना इत्यादि। उक्त आकलन के लिए रिज़र्व बैंक रेटिंग ऐजेंसियों के चूक अध्ययनों (डिफाल्ड स्टडी), ट्रांजिशन मैट्रिक्स, गिनी गुणांक इत्यादि पर ध्यान देता है।

चूक दरों का मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंक ऋणों के संबंध में यह अनिवार्य बना दिया है कि सभी रेटिंग ऐजेंसियां चूक का निर्धारण एक समान ढंग से करें।

स्वतंत्रता : बासेल मानदंडों में कहा गया है कि किसी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी को स्वतंत्र होना चाहिए और रेटिंग करते समय उस पर राजनैतिक या आर्थिक दबाव नहीं होना चाहिए। रेटिंग की प्रक्रिया को शेयर धारिता के तरीके या निदेशक बोर्ड की संरचना के कारण उत्पन्न हो सकने वाले हितों के टकराव से भी मुक्त होना चाहिए।

रेटिंग ऐजेंसी की स्वतंत्रता का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक स्वामित्व एवं सांगठनिक ढांचा (बोर्ड एवं रेटिंग समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी), व्यक्तियों की स्वतंत्रता अर्थात रेटिंग शुल्क एवं रेटिंग की गुणवत्ता के बीच हितों का टकराव, शेयर धारकों के साथ हितों का टकराव, रेटिंग समिति के स्तरों पर हितों का टकराव, कारोबारी विकास एवं रेटिंग गतिविधियों में अलगाव, अन्य कारोबारी गतिविधियों से रेटिंग के कारोबार के अलग होने का मूल्यांकन करता है।

अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता/पारदर्शिता : इस मानदंड के तहत रिज़र्व बैंक यह मूल्यांकन करता है कि क्या क्रेडिट रेटिंग

ऐजेंसी रेटिंग की कार्यप्रणालियों और रेटिंग के तर्काधारों के बारे में देशी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रयोगकर्ताओं को भी बिना किसी भेदभाव के आवश्यक जानकारी प्रकट करती है या नहीं।

प्रकटीकरण : मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान रिज़र्व बैंक यह आकलन करता है कि क्या क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी निम्नलिखित का प्रकटीकरण करती हैं : चूक की परिभाषा, समयावधि एवं प्रत्येक रेटिंग के मतलब सहित रेटिंग की कार्यप्रणालियां, प्रत्येक रेटिंग श्रेणी में देखी गई वास्तविक चूक दरें तथा रेटिंग में परिवर्तन। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा विस्तृत प्रकटीकरण को अनिवार्य भी बनाया है।

संसाधन : क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा गुणवत्तायुक्त रेटिंग निर्धारित करने में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण कारक होती है। रिज़र्व बैंक किसी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी के पास मानव संसाधनों, यथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी अर्हताएं एवं अनुभव इत्यादि का आकलन करता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के पहले उनकी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं पर भी विचार करता है। साथ ही, रिज़र्व बैंक की क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों से अपेक्षा होती है कि उनके पास अर्थव्यवस्था, क्षेत्रों, कंपनियों आदि के संबंध में सूचना के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता होनी चाहिए।

विश्वसनीयता : रेटिंग ऐजेंसी की विश्वसनीयता स्वतंत्र लोगों, यथा निवेशकों, बीमाकर्ता, कारोबारी साझेदारों आदि द्वारा रेटिंग ऐजेंसी की रेटिंग की स्वीकार्यता के स्तर पर आधारित होती है। रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा रेटिंग प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई गोपनीय सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक भी उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी की विश्वसनीयता के निर्धारण के लिए ऐजेंसी की ओर से सेबी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) तथा एशिया में क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के संघ (एसीआरएए) द्वारा निर्धारित आचार संहिता के पालन करने का विश्लेषण भी किया जाता है।

बासेल -II ढांचे के अंतर्गत, क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों को मान्यता प्रदान करने के साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों प्रदान की जाने वाली रेटिंग को मानक जोखिम भारांकन ढांचे के तहत उपलब्ध समुचित जोखिम भार का भी पता लगाया जाएगा। बासेल -II ढांचे के तहत यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय विनियामक यह निर्धारित करे कि कौन सी श्रेणी किस जोखिम भार के अनुरूप है। पता लगाने (मैपिंग) की प्रक्रिया वस्तुगत होनी चाहिए और उसे जोखिम भार के नियतन के रूप में परिणत होना चाहिए, जो रेटिंग में दर्शाए गए ऋण जोखिम के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में रिज़र्व बैंक ने सभी रेटिंग ऐजेंसियों के लिए एक समान जोखिम भार निर्धारित किया है। इस तरह से एक समान जोखिम भारों का निर्धारण रेटिंग के अपेक्षाकृत कम दायरे तक पहुंचने और चूक के ऐतिहासिक आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण किया गया है।

मान्यता प्रदान किए जाने के समय विस्तृत मूल्यांकन किए जाने के साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा बासेल -II ढांचे के अधीन मान्यता को जारी रखने की पात्रता की वार्षिक समीक्षा भी करता है। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान रिज़र्व बैंक प्रक्रिया के साथ ही साथ परिणामों का मूल्यांकन भी करता है। विशिष्ट रेटिंग ऐजेंसी के रेटिंग किए गए पोर्टफोलिया की संचयी चूक दरों का मूल्यांकन बासेल -II ढांचे के तहत प्रस्तावित बेंचमार्क संचयी चूक दरों की तुलना करके किया जाता है। भारत में बैंक ऋण रेटिंग में संचयी चूक की दरें बासेल -II ढांचे द्वारा उपलब्ध कराए गए बेंचमार्क की तुलना में अधिक हैं।

बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन और क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के मूल्यांकन का समामेलन कैसे किया जाए ?

बैंकों और क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों को चार अनिवार्य मुद्दों पर मिलकर काम करने की जरूरत है जिनसे बैंको को उनके स्वयं के पोर्टफोलियों को जोखिम-मुक्त करने के साथ ही साथ अपने ऋणों की और प्रभावी ढंग से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

प्रथम, भारतीय बैंक बासेल II मानदंडों के अनुसार जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में बाहरी रेटिंग ऐजेंसियों के ऋण मूल्यांकन विचारों का बहुत विस्तृत रूप से प्रयोग करते रहे हैं। यद्यपि बैंकों को सभी ऋणों (सिर्फ ₹10 करोड़ से अधिक के ऋणों को क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता होती है) के संबंध में उनकी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए बाहरी

रेटिंग ऐजेंसी से क्रेडिट रेटिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंक कंपनियों से रेटिंग हासिल करने को कहते हैं। स्पष्टरूप से ऐसा उनके ऋण मूल्यांकन को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह बहुत स्पष्ट है कि क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा बैंकों को सुलभ कराई जाने वाली सेवा को मान्यता प्रदान करना है जिसका प्रयोग पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के इतर भी किया जा रहा है। हालांकि, बैंकों को बैंकों को कंपनियों पर पड़ने वाली इस लागत को ध्यान में रखना चाहिए और लाभप्रदता के प्रति इसे संतुलित करना चाहिए।

हम ऋण संबंधी सूचना को साझा करने के बारे में बात करते हैं जो कारोबारी चक्रों के बारंबार घटित होने तथा उनके परिणामों को देखते हुए बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमारे यहां ऋण सूचना कंपनियों के नाम की संस्थाएं हैं जो विशिष्ट कंपनियों के बारे में इस प्रकार की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा, समय के साथ रेटिंग में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी उपलब्ध है जिस पर बैंकरों को नजर रखनी चाहिए तथा उसमें से सूचना लेना चाहिए। बैंकरों को क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों की रेटिंग के समानांतर रेटिंग मैप तैयार करना चाहिए और उनके अपने मॉडलों तथा रेटिंग से तुलना करना चाहिए। यह एक उपयोगी जांच होगी जिसे बैंक अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो के लिए तैयार कर सकते हैं।

द्वितीय, मैं देखता हूं कि क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और इस बात की आवश्यकता है कि बैंकों तथा क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के ऋण जोखिम आकलनों के दो मॉडलों का हम कैसे एकीकरण करें। एक सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि बैंकों को अपने पोर्टफोलियो को जोखिम-मुक्त करने के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण की तलाश कर रही कंपनियों को आंशिक रूप से कॉर्पोरेट कर्ज बाजार से उधार लेने को कहना चाहिए। इस प्रकार से क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा की जाने वाली बाजार की आसूचना, जो बांड बाजार से उधार लेने के लिए अनिवार्य है, संस्थाओं को ऋण प्रदान करते समय बैंकों के पास एक अतिरिक्त सुलभ जानकारी होगी। आज की स्थिति में यह और भी अधिक प्रासंगिक है क्योंकि एक बार अर्थव्यवस्था में तेजी आने और आधारभूत संरचना में तेजी प्रारंभ होने के बाद आस्ति-देयता प्रबंध तथा निधियों की मांग के मामले प्रकट होने वाले हैं। हो सकता है कि उधारकर्ताओं की ओर से आने वाली निधियों की मांग को बैंक पूरा न कर पाएं। हमें इस तरह के कदम के प्रभावों के विस्तृत अध्ययन की शुरुआत करनी है। यह देखते हुए कि हमारे साथ बैंकों और क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों -दोनों से विशेषज्ञ उपलब्ध हैं इस मंच में यह विचार को रोपित करने योग्य है।

तृतीय, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) का क्षेत्र आर्थिक आघातों के प्रति विशेषरूप से संवेदनशील है। अपने आकार के कारण वे सुविधाहीन होते हैं तथा मंदी आने पर पहला असर उन पर पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के पास एसएमई की रेटिंग के मॉडल उपलब्ध हैं। एसएमई को रेटिंग के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की योजना के तहत छूट प्रदान की जाती है। इन एसएमई को ऋण प्रदान करने से पहले रेटिंग की अपेक्षा करना बैंकों के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है ताकि ऋण का आहरण किए जाने के पहले जांच की व्यवस्था स्थापित की जा सके। हमारे स्थलों पर एसएमई की विशाल संख्या के मद्देनजर बैंकों के लिए प्रत्येक उद्यम के संबंध में सावधानी बरतना संभव नहीं है। इस स्थिति में बैंक क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा सुनियोजित प्रणालियों का लाभ उठा सकते हैं ताकि थोड़ी तैयार पहले कर ली गई हो जो बैंकों के लिए उपयोगी होगी।

चतुर्थ, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हाल ही में हमने जारी किए गए इन्फ्रा बांडों के संबंध में ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के लिए सीमाओं को विशिष्ट शर्तों के अधीन विस्तृत किया है। निश्चितरूप से यह ऐसा उपाय है जिसे हम जारी रखना चाहेंगे। इससे बांड बाजार को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। साथी ही साथ, यहां भी हम क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। सर्वोत्तम उपाय करने के लिए यह बांड बाजार, बैंकों तथा क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों -सभी के एक साथ काम करने का उदाहरण है, जिससे अंततोगत्वा अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

बैंकों एवं क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों के बीच सहक्रियाओं की लिवरेजिंग के लिए कॉर्पोरेट बांड बाजार का विकास बहुत महत्त्वपूर्ण है, जो प्रणाली में बढ़ रही अनर्जक आस्तियों के मुद्दे को हल कर सकता है।

अतः मेरा यह मानना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) की बैंकों के परिचालन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है जो पूंजी पर्याप्तता तथा बासेल II से आगे की बात है। अंतिम निर्णय लेना और ऋण-मूल्यांकन बैंकों द्वारा ही किया जाना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो जानकारी देती हैं वह अतिरिक्त सूचनाएं मात्र होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक बासेल III के अंतर्गत अपनी पूंजी आवश्यकताओं को आकार देने के लिए सीआरए की ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें सहारा देने के लिए टियर II बांडों को बढ़ाना है। किंतु यह कार्य मुख्यतया उधार देने के बजाय बाज़ार से उधार लेने का अधिक होगा।

हालांकि भारतीय बैंकों के लिए उनके ऋण-जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित प्रणाली अपनाने के लिए रास्ता तैयार हो चुका है, लेकिन यह उन बैंकों की क्षमता और तैयारी पर निर्भर करेगा क्योंकि आंतरिक रेटिंग प्रणाली की ओर जाना उनके लिए आकस्मिक होगा और वे इस उद्देश्य से प्रयोग किए जाने वाले मॉडल पर डाटा की जांच करने में कितने सक्षम होंगे। इसलिए बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे तब तक बाहरी ऋण रेटिंग पर भरोसा करें जब तक कि ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए सभी प्रकार की प्रणाली व्यवस्थित रूप से लागू न हो जाए।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही

अब हम क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे पर बात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता क्यों होनी चाहिए ? यह मुद्दा हमें इस बहस पर लाता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को धन का भुगतान कौन करता है। इसके लिए दो परंपरागत तरीके हैं : एक तो 'निवेशक-भुगतान' मॉडल है जिसमें निवेशक या बैंकर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भुगतान करता है और दूसरा 'जारीकर्ता-भुगतान' मॉडल, जिसमें प्रतिभूति जारी करने वाला या उधारकर्ता, रेटिंग एजेंसी को भुगतान करता है। हाल में एक नया मॉडल लाया गया है : जिसे 'सोसायटी-भुगतान' मॉडल कहते हैं, जिसमें एक असंबद्ध तीसरी पार्टी जैसे - सरकार, विनियामक आदि कर्ज की रेटिंग के लिए रेटिंग एजेंसी को भुगतान करता है।

प्रत्येक मॉडल के अपने गुण-दोष हैं। हम 'जारीकर्ता-भुगतान' मॉडल पर और अधिक चर्चा करेंगे क्योंकि यह हमारे देश में इस समय सबसे अधिक प्रचलित मॉडल है। जैसाकि पहले कहा गया है कि जारीकर्ता-भुगतान मॉडल में ऋण जारी करने वाला या उधार लेने वाला रेटिंग एजेंसी को स्वेच्छा से या विनियामक अपेक्षा के पालन के लिए कमीशन देता है। भारत में, जहां तक ऋण के सार्वजनिक निर्गम का संबंध है, सेबी और रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार ऋण जारीकर्ता के लिए अनिवार्य है कि वह क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करे। जहां तक बैंक ऋण का सवाल है, इसके लिए कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है, हालांकि कॉर्पोरेट ऋण से संबंधित बैंकों की पूंजी-आवश्यकता ऋण की रेटिंग पर निर्भर होती है। बैंक अपने विवेक पर उधारकर्ता से क्रेडिट रेटिंग लाने के लिए कह सकते हैं।

जारीकर्ता-भुगतान मॉडल की विशेषता यह है कि एक बार इसके अंतर्गत रेटिंग देने और स्वीकार कर लेने के बाद उसे सार्वजनिक कर दिया जाता है और उपयोक्ता उसका उपयोग निःशुल्क कर सकते हैं। छोटे निवेशक या व्यक्ति जो ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं उन्हें क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस मॉडल की एक अन्य विशेषता यह भी है कि जारीकर्ता रेटिंग की जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकता है क्योंकि उसने ही रेटिंग के लिए कमीशन दिया है। लेकिन, इस मॉडल में छिपे हुए हित संबंधी विवाद हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आय और लाभ उनके द्वारा दी गई रेटिंग की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए इस बात की भी प्रवृत्ति हो सकती है कि रेटिंग बढ़ाकर दिखाई जाए ताकि ग्राहक बने रहें और उनकी संख्या बढ़ती रहे।

वित्तीय संकट जांच आयोग (2011, पृष्ठ 212), जिसने अमरीका के वित्तीय एवं आर्थिक संकट के कारणों की जांच की है, ने लिखा है कि '... ऐसे कारोबारी मॉडल जिनकी रेटिंग के लिए भुगतान किया गया था और जिनके अंतर्गत फर्में प्रतिभूतियां जारी कर रही थीं, उन्होंने रेटिंग्स की गुणवत्ता और सत्यता को कम आंका था, रेटिंग एजेंसियों ने बाज़ार के शेयर (हिस्सा) और लाभ को उनकी रेटिंग की गुणवत्ता तथा सत्यता से ऊपर रखा था'। हाल के वित्तीय संकट के समय में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के इस प्रकार के योगदान को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के इस प्रकार के योगदान कड़ी विनियामक निगरानी की जरूरत महसूस हुई हैं।

संक्षेप में, बैंक को अपने बढ़ते हुए एनपीए स्तर तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए जो सबसे सक्रिय कदम है, उसमें क्रेडिट रेटिंग बहुत महत्त्वपूर्ण है। बैंक, बाहरी रेटिंग को तीसरी पार्टी, पेशेवर मूल्यांकन के रूप में या तो सिर्फ उसी को स्टैंड-अलोन आधार पर इस्तेमाल करें या फिर अपनी आंतरिक रेटिंग के साथ मिलाकर उपयोग करें।

लेकिन, बैंकों को चाहिए कि वे बाहरी रेटिंग का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करें, क्योंकि हाल के वित्तीय संकट ने रेटिंग पर अत्यधिक निर्भरता के खतरे को उजागर कर दिया है।

मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से ऐसे बहुत से सुझाव उभरेंगे जो रिज़र्व बैंक और सेबी जैसे विनियामकों के लिए नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने के काम आएंगे। मुझे आशा है कि व्यवस्थापक उन सुझावों को हम तक अवश्य पहुंचाएंगे।

मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद !